

क्रम संख्या—277(क-1)



रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल०-

डब्लू०/एन०पी०—९१/२०११—१३

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिषिष्ठ

भाग—४, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 23 अक्टूबर, 2013

कार्तिक 1, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—६

संख्या 2331/आठ-६-२०१३-९गठन-०८

लखनऊ, 23 अक्टूबर 2013

अधिसूचना

प० आ०—२९२

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिषकारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा यथा पुनः अधिनियमित और संशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, सन् 1973) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या 223/11-५-८४-९१डी०ए०/८१, दिनांक 12 अक्टूबर, 1984 में इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से निम्नलिखित संशोधन करते हैं :

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में, झार्सी विकास क्षेत्र में—

(क) शीर्षक “क्षेत्र” के अधीन प्रविष्टि में शब्द और अंक “निम्नलिखित 39 ग्रामों” के स्थान पर शब्द और अंक “निम्नलिखित 101 ग्राम” रख दिये जायें,

(ख) शीर्षक “ग्रामों के नाम” के अधीन उल्लिखित प्रविष्टि में क्रम संख्या 39 पर अंकित ग्राम के पश्चात् निम्नलिखित ग्राम बढ़ा दिये जायें, अर्थात् :—

40	लक्ष्मनपुरा	41	बनगुवां
42	नाटछीर	43	कोलवा
44	बरेठी	45	फुटेरा—बरुआसागर
46	हरपुरा	47	तालरमन्ना
48	घुघुवा	49	चिपलौटा
50	दानीपुरा	51	दैन
52	दुनारा	53	भूपनगर
54	सुजाटा	55	बचावली खुद
56	बचावली बुजुर्ग	57	बड़ागाँव
58	तौरबराठा	59	बराटा
60	पारीछा	61	रिछौरा
62	मडोरा	63	गढमऊ
64	मथनपुरा—रमपुरा	65	पठेश्वर
66	आरी	67	बेहटा
68	कोट	69	भरारी
70	लकारा	71	लंदकरारी
72	रौनीजा	73	अम्बावाय
74	चन्दा	75	कलोथरा
76	सारमऊ	77	सिमरा
78	गेवरा	79	पुनावलीकला
80	डोमागोर	81	दिकौली
82	कोटखेरा	83	रक्सा
84	डगरवाहा	85	पठारी
86	डोगरी	87	गुढा
88	रमपुरा	89	मठ
90	बाजना	91	बमेर
92	राजापुर	93	गागोनी
94	बरुआपुरा	95	मुरारी
96	घमरऊवा	97	किल्चवरा खुद
98	किल्चवरा बुजुर्ग	99	बैदौरा
100	खजराहा खुद	101	खजराहा बुजुर्ग

आज्ञा से,
सदाकान्त,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2331/VIII-6-2013-9Gathan-08, dated October 23, 2013 :

No. 2331/VIII-6-2013-9Gathan-08

Dated Lucknow, October 23, 2013

In exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act no. 11 of 1973) as re-enacted and amended by the Uttar Pradesh President's Act (Re-enactment with modifications) Act, 1974 (U. P. Act no. 30 of 1974) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clause Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no. 223/XI-5-84-91D.A.-81, dated October 12, 1984 with effect from the date of publication of this notification in the Gazette:-

AMENDMENT

In the aforesaid notification, in the Jhansi Development Area—

(a) In the entries under the heading "AREA" for the words and figures "following 39 Villages" the words and figures "following 101 Villages" shall be substituted;

(b) In the entries appearing under the heading "Name of Villages" after the village at Serial no. 39 the followings villages shall be inserted, namely :—

40	Lakshmanpura	41	Banguwan
42	Natchheer	43	Kolawa
44	Barethi	45	Futera-Baruasagar
46	Harpura	47	Talaramanna
48	Ghughuwa	49	Chiplauta
50	Danipura	51	Daun
52	Dunara	53	Bhoopnagar
54	Sujata	55	Bachawali Khurd
56	Bachawali Bujurg	57	Badagawn
58	Taurbaratha	59	Barata
60	Parichha	61	Richaura
62	Madora	63	Gadhamau
64	Mathampura-Rampura	65	Patheshwar
66	Arai	67	Behata
68	Koat	69	Baharari
70	Lakard	71	Rundkutari
72	Rauhija	73	Ambaway
74	Chandra	75	Kalothari
76	Sarmau	77	Simara
78	Gewara	79	Punawalikalan
80	Domagor	81	Dikauli
82	Koatkhera	83	Raksa
84	Dagarwaha	85	Pathari
86	Dogari	87	Gudha
88	Rampura	89	Math
90	Bajana	91	Bamer
92	Rajapur	93	Gagoni
94	Baruapura	95	Murari
96	Chamraua	97	Kilchawara Khurd
98	Kilchawara Bujurga	99	Baidaura
100	Khajaraha Khurd	101	Khajaraha Bujurga

By order,

SADAKANT,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०य०पी०—ए०पी० 493 राजपत्र (हि०)—2013—(1081) 599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।

पी०एस०य०पी०—ए०पी० 4 सा० आवास एवं शहरी नियो०—2013—(1082) 100 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।